न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 79/2021

1 राजेश कुमार पुत्र रामदेवा।
2 भागोती देवी पत्नी बीरबल समस्त जाति जाट निवासीगण मझाऊ तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 किशोर पुत्र सुरजाराम।
2 सुनिल कुमार पुत्र बीरबल।
3 विकाश कुमार पुत्र रामदेवा प्रत्यर्थी नम्बर 1 लगायत 3 समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी मझाऊ तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 दड़की देवी पत्नी सुरजाराम।
5 भंवरसिंह पुत्र सुरजाराम।
6 मनोहरी पुत्री सुरजाराम।
7 रामकुमार सिंह पुत्र सुरजाराम प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 7 समस्त जाति जाट निवासीगण धाबड़ा की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सिंगनौर।
9 मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ़।
10 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश पारित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के अनुवानी किशोर बनाम भागोती आदि प्रकरण संख्या 236/2019 अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती मीना कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री संदीप महला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 8-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 236/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा 4 लगायत 7 की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 166 मे आवागमन हेतु ग्राम मझाउ के खेत वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 176, 177, 490/176 जिसकी खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है व मौके पर कब्जा काश्त है, मे से 12 फिट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शे मे क,ख,ग बिन्दु तक कायम करने का आदेश फरमाये, जिस पर सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने जबाब दिनांक 23.03.2021 को पेश होने से पुर्व मौका रिपोर्ट तलब की जो दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

24.09.2019 के आदेश के अनुसार थी, जो कि अपीलार्थीगण को प्रकरण की जानकारी होने से पुर्व की है, इसके बाद अपीलार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 31.08.2021 को पेश किया लेकिनद उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नही करके सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.09.2021 को आदेश पारित करके आदेशित किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम मझाउ की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 166 मे आवागमन हेतु तहसीलदार, उदयपुरवाटी से दिनांक 26.11.2019 प्राप्त फर्द मौका के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से प्रस्तावि किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है, आवेदक उक्त रास्ते मे समायोजित होने वाली भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी की दोगुनी राशि को तहसीलदार, उदयपुरवाटी के पास जमा करवाये एवं तहसीलदार, उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भगुतान करे तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुये नक्शा ट्रैस मे भी अंकि करे, फर्द मौका निरिक्षण दिनांक 26.11.2019 मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक ने खसरा नम्बर 166 के लिए रास्ते की मांग की है। खसरा नम्बर 166 व डामर सड़क के मध्य खसरा नम्बर 438/184 अवस्थित है। इसके खातेदारान को पक्षकारान बनाये बिना, सुनवाई किये बिना इनके द्वारा प्रस्तुत आदेश 01 नियम 10 के आवेदन का निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। मौका रिपोर्ट भी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018(2) पेज 1193, आरआरटी 2016(1) पेज 440, आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज 597 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 176 में 8 फीट व खसरा नम्बर 177 में 4 फीट कटानी रास्ता पहले से मौजूद है। इसे रास्ते को 12 फीट चौड़ा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट उपस्थित थे किन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 166 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 176 व 177 में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मझाउ पटवार हल्का सिंगनौर के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नं. 166 से मुख्य सड़क के मध्य खसरा नं. 176, 177 व 438/184 अवस्थित है। विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 176 व 177 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। खसरा नम्बर 438/184 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 438/184 के खातेदार ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन का निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा (कैम्प सुन्दरपुर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 438/184 के खातेदार को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर